



न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मंडल ग्वालियर, म.प्र.

प्रकरण क्र.

2016 निगरानी अग - 1903-POR-16

कमलसिंह पिता प्रेमसिंह राजपूत,
निवासी-ग्राम कीलोना, तहसील नलखेडा
जिला आगर, म.प्र.आवेदक

विरुद्ध

- 1 भंवरसिंह पिता मोढ़सिंह जाति राजपूत
- 2 जसवंतसिंह पिता मोढ़सिंह जाति राजपूत
- 3 ईश्वरसिंह पिता मोढ़सिंह जाति राजपूत,
सभी निवासीगण-ग्राम किलोनी, तहसील
नलखेडा, जिला आगर, म.प्र.

.....अनावेदकगण

पुनरिक्षण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

माननीय महोदय,

उपरोक्त निगरानी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय नलखेडा,
जिला आगर एवं राजस्व निरीक्षक वृत्त-1 नलखेडा के प्रकरण क्र.
59-अ-12/2015-16 में आदेश दिनांक 18.05.2016 एवं प्रतिवेदन
दिनांक 27.05.2016 के विरुद्ध

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है :-

01. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

02. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय द्वारा विधिवत सीमांकन किये बिना आवेदक की भूमि की ओर 0.04 आरे भूमि पर उत्तर दिशा की ओर निकलना बता दी। उक्त सीमांकन बिना किसी उचित एवं विधिवत रिकॉर्ड के अवलोकन के बगैर किया गया है, इस कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं।

श्री. ~~महेश चंद्र शर्मा~~ को
द्वारा आज दि. 13/6/16
प्रस्तुत

पलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

8
Dolat
13/6/16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1903-पीबीआर/16

जिला - आगर मालवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला आगर मालवा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p>	